प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 31.10.2026

थाना बड़ौत पुलिस ने चेकिंग के दौरान अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से जनपद बागपत, दिल्ली एवं अन्य राज्यों से चोरी की गई 22 मोटरसाइकिल व स्कूटी बरामद।



कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से जनपद बागपत, दिल्ली एवं अन्य राज्यों से चोरी की गई 22 मोटरसाइकिल व स्कूटी बरामद हुई हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 756/26 धारा 317(2)/ 317(5) बी.एन.एस पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-संदीप पुत्र सतवीर निवासी बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत।

2-आसिफ पुत्र अब्बास निवासी मौहल्ला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

3-देव पुत्र जगपाल निवासी आजाद नगर कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

4-नूर मियां उर्फ भूरा पुत्र नौशाद निवासी ग्राम टाण्डा थाना छपरौली जनपद बागपत।

5-फरमान पुत्र शब्बीर निवासी कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

1-मो0सा0 स्प्लेंडर नं. HR-06BG-2237 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 749/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बड़ौत जनपद बागपत।)

2-मो0सा0 स्प्लेंडर नं. UP-19F-8864 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 530/26 थाना कोतवाली जनपद बागपत)

3-मो0सा0 पैशन प्रो नं0 UP-17J-2767 (सम्बन्धित म.अ.सं. 739/26 थाना बडौत जनपद बागपत)

4-मो0सा0 स्प्लेंडर प्लस प्रो नं. DL-9SAN-0927 (सम्बन्धित मु.अ.सं. 748/26 थाना बडौत जनपद बागपत)
5-मो0सा0 हीरो स्प्लेंडर प्लस UP-17P-6710 (सम्बन्धित मु.अ.सं. 561/26 थाना बडौत जनपद बागपत)
6-मो0सा0 पैशन प्रो नं0 DL-3SBJ-8555 (सम्बन्धित मु.अ.सं. 747/26 थाना बडौत जनपद बागपत)
7.मो0सा0 होंडा सीवी ट्यूस्टर नं. UP-17H-8272 (सम्बन्धित मु.अ.सं. 177/26 थाना रमाला जनपद बागपत)
8.मो0सा0 स्प्लेंडर प्लस नं. DL-6SBG-2592 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 249/26 थाना छपरौली जनपद बगपत)
9-मो0सा0 स्प्लेंडर प्लस नं. UP-19C-3991 (सम्बन्धित मु.अ.सं. 564/26 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत)
10-मो0सा0 स्प्लेंडर प्लस नं0 UP-17P-7541 (सम्बन्धित मु.अ.सं. 453/26 थाना कोतवाली बागपत जनपद)
11.मो0सा0 पैशन प्रो नं0 DL-7SBQ-0654 (सम्बन्धित मु.अ.सं. 023101 थाना आनन्द विहार दिल्ली)
12-मो0सा0 सुपर स्प्लेंडर प्लस नं. UP-70FK-9299 (सम्बन्धित मु.अ.सं. 020613 थाना मंसूर पार्क दिल्ली)
13-मो0सा0 स्प्लेंडर प्लस नं. HR-06AT-5544
14-मो0सा0 पैशन प्रो नं0 UP-19M-1628
15-मो0सा0 हीरो एचएफ डीलक्स नं. HR-10AJ-8692
16-मो0सा0 स्प्लेंडर प्लस हीरो नं. HR-05AB-5029
17-स्प्लेडर प्लस नं. HR-10R-8934
18-मो0सा0 स्प्लेंडर प्लस हीरो नं0 UP-12BQ-1640
19-मो0सा0 पैशन प्रो हीरो नं0 DL-5SBP-7865
20-मो0सा0 हीरो स्प्लेंडर प्लस नं0 UP-17M-4905
21-मो0सा0 स्प्लेंडर प्लस नं0 HR-05AK-1965
22-स्कूटी TVS IQUBE नं.UP-17AE-1667(सम्बन्धित मु.अ.सं. 634/26 थाना बडौत जनपद बागपत)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 विकास चौहान थाना बडौत जनपद बागपत।
2-उ0नि0 सत्यम जंघाला थाना बडौत जनपद बागपत।
3-उ0नि0 सचिन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
4-उ0नि0 नकुल राठी थाना बडौत जनपद बागपत।
5-उ0नि0 धीरज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
6-है0का0 422 राजन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
7-है0का0 750 सुनील कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
8-है0का0 564 जितेन्द्र कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
9-का0 399 राहुल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
10-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना बडौत जनपद बागपत।
11-का0 421 अंकुल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
12-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

13-का0 846 नरेन्द्र कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
14-का0 301 मुलायम सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट

थाना खेकडा जनपद बागपत दि.31.10.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 304/2026 धारा 109(1), 3(5) बी एन एस व 3/25/27 आयुध अधिनियम में वाछिंत 10,000 रुपये के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण



दिनांक 29.08.2026 को थाना खेकड़ा क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ के मामले में उक्त अभियुक्त वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा ₹10,000/- का इनाम घोषित किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित / इनामिया अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 304/2026 धारा 109(1), 3 (5) बी एन एस व 3/25/27 आयुध अधिनियम में वाछिंत 10000 हजार के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है अभियुक्त की निशादेही पर पुलिस मुठभेड की घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा व एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्यारे उर्फ प्यारू मौहम्मद पुत्र सहाबुद्दीन नि0 गाँव फारूखनगर असालतपुर थाना टीलामोड़ जिला गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 304/26 धारा 109(1),3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट (पु0मु0) थाना खेकड़ा, बागपत

2.मु0अ0सं0 647/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी हापुड

3.मु0अ0सं0 658/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी हापुड

4.मु0अ0सं0 713/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी बागपत

5.मु0अ0सं0 731/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी बागपत

6.मु0अ0सं0 767/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी बागपत

7.मु0अ0सं0 786/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी बागपत

8.मु0अ0सं0 789/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी बागपत

9. मु0अ0सं0 93/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत

10.मु0अ0सं0 1351/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी गाजियाबाद

11. मु0अ0सं0 1417/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण -

- 01 अवैध देशी तमंचा.315 बोर 01 खोखा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री विकास कुमार गुर्जर थाना खेकडा बागपत

2.है0का0 938 मनीष कुमार थाना खेकडा बागपत

3. है0का0 611 सतीश कपासिया थाना खेकडा बागपत

4. है0का0 804 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा बागपत